कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गित प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप–एफ) पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 5400 में वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:– शिविरा/मा/संस्था/बी–ग्रा/रिव्यू डीपीसी/प्रअ/ 16–17/ दिनांक 18.07.18 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है:–

क्रं सं	वरिष्ठता क्रमांक		वर्ष	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन (राउमावि/रामावि)	नवीन पदस्थापन
1	1401	1	92-93	सावनलाल मेघवाल	05/09/58	सण्डला बारण– चित्तौड	मुंजवा–चित्तौड
2	1501	II	92-93	नाथूराम मेहरा	01/06/68	सुवानिया–बेगू– चित्तौड	लावूण्डा झुंझुनू
3	1640		94-95	स्योजी लाल मीणा	24/03/66	गम्भीरा–बूंदी	बाजोली–स. माधोपुर
4	1486		95-96	शंकरलाल	25/04/59	जावरा–उदयपुर	मादड़ा–खेरवाड़ा उदयपुर
5	2348		95-96	बजरंगलाल मीणा	09/09/69	पीपलवाड़–टोंक	नाकपुरा–चित्तौड
6	2452		95-96	रामलाल	01/01/61	बोरतलाव–बाँसवाड़ा	सरवाणिया– बाँसवाड़ा

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक–<u>30.07.2018</u> तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेंगें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(बी.एल.स्वर्णकार)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/ रिव्यू डीपीसी–16–17/2018 दिनांक:– 22 जुलाई 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–बैण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2016–17 (मुख्य एवं रिव्यू)की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/बी–III/ प्रधानाचार्य/डीपीसी /2016–17/18 दिनॉकः– 29.04.2018 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र सं	वरिष्ठता क्रमांक		वर्ष	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन (राउमावि/रामावि)	वांछित पदस्थापन	चयन
1	100	1	02-03	इन्दिरा सक्सेना,व्या0	20/08/60	पीली की तलाई, जयपुर	बा0 सरमथुरा–धौलपुर	16–17
2	375	25	03-04	हरिओम सिंह,व्या0	06/06/70	मटावली–भरतपुर	समीचा–राजसमन्द	16–17
3	398		05-06	जमनालाल,व्या0	101/9/56	काटुन्दा–बेगू–चित्तौड	बडावली–चित्तौड	16–17 रिव्यू

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक–30.07.2018 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगें। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे।संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/46005/प्रधानाचार्य/डीपीसी–16–17/2018/ दिनॉकः– 22जुलाई2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक